

गेहूँ और दालों के भंडारण पर सीमा

प्रलिस के लिये:

[खाद्य सुरक्षा](#), [आवश्यक वस्तु अधिनियम \(ECA\), 1955](#), [IMD](#), [मुद्रासफीति](#), [PDS](#), [OMSS](#)

मेन्स के लिये:

गेहूँ और दालों के भंडारण पर सीमा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने तथा जमाखोरी एवं बेबुनियाद अनुमान लगाने की प्रथा को रोकने के लिये व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, वृहत शृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं तथा प्रसंस्करणकर्त्ताओं द्वारा रखने योग्य गेहूँ के स्टॉक/भंडारण पर सीमाएँ निर्धारित की हैं।

- मंत्रालय ने इन्ही कारणों से आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA), 1955 को लागू करके तूर और उड़द दाल पर भी भंडारण सीमा लगा दी है।

सीमा निर्धारण का कारण:

- गेहूँ उत्पादन से संबंधित चिंताएँ:
 - फरवरी 2023 में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और उच्च तापमान के कारण कुल गेहूँ उत्पादन को लेकर स्वाभाविक चिंता जताई गई।
 - कम उत्पादन से कीमतें बढ़ती हैं, जो सरकार की खरीद कीमतों से अधिक हो सकती हैं तथा आपूर्ति स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं।
 - शुरुआती अनुमान की तुलना में गेहूँ खरीद में संभावित 20% की कमी के संकेत हैं।
 - ओलावृष्टि के कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लगभग 5.23 लाख हेक्टेयर गेहूँ की फसल को नुकसान होने का अनुमान है।
 - भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने प्रजनन वृद्धि अवधि के दौरान उच्च तापमान के कारण गेहूँ की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव की चेतावनी दी थी।
- तूर एवं उड़द के लिये ECA 1955 लागू करना:
 - कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के प्रमुख तूर उत्पादक राज्यों के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा और जल जमाव की स्थिति के कारण वर्ष 2021 की तुलना में खरीफ बुवाई में धीमी प्रगतिके बीच जुलाई 2022 के मध्य से तूर की कीमतों में वृद्धि हुई है।
 - किसी भी अवांछित मूल्य वृद्धिको नियंत्रित करने के लिये सरकार घरेलू एवं विदेशी बाजारों में दालों की समग्र उपलब्धता और नियंत्रित कीमतों को सुनिश्चित करने हेतु पूर्व-निर्धारित कदम उठा रही है।

गेहूँ की स्टॉक सीमा के संबंध में शासनादेश:

- कीमतों को स्थिर करने के लिये स्टॉक सीमा का अधिरोपण:
 - व्यापारियों/थोक विक्रेताओं के लिये अनुमत स्टॉक सीमा 3,000 मीटरिक टन निर्धारित है, इसके साथ ही खुदरा विक्रेताओं के लिये प्रत्येक बिक्री केंद्र पर 10 मीटरिक टन होने के साथ बड़ी शृंखला के खुदरा विक्रेताओं के लिये सभी डिपों (संयुक्त) पर 3,000 मीटरिक टन तक निर्धारित की गई है।
 - प्रसंस्करण इकाइयों को उनकी वार्षिक स्थापित क्षमता का 75% तक स्टॉक करने की अनुमति है।
 - खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर संस्थाओं को नियमित रूप से अपने स्टॉक की स्थिति घोषित करने की आवश्यकता होती है।
 - सीमा से अधिक स्टॉक होने की स्थिति में निर्धारित सीमा के अंतर्गत लाने के लिये अधिसूचना जारी करने की समय-सीमा 30 दिन है।
- OMSS के माध्यम से गेहूँ की बिक्री:

- सरकार ने **ओपन मार्केट सेल सकीम (OMSS)** के माध्यम से 15 लाख टन गेहूँ बेचने का नरिणय लया है ।
- गेहूँ मल्लों, नजल वुयापारयलं, थोक खरीदारं और गेहूँ उत्पादकं द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा ।
- **नीलामी 10 से 100 मीटरक टन के थोक मूल्य के लयल** आयोजलतल कल जाएगी, जसलमें कलमतं और मांग के आधार पर अधकल-से अधकल नीलामी कल संभारवना होगल ।
- कलमतं को कम करने के लयल **चावल कल बकलरल हेतु** भी इसल तरह कल योजना पर वचार कयल जा रहा है ।

शासनादेश का उददेश्य:

- **कलमतं के स्थरलकरण हेतु:**
 - प्रारथमकल उददेश्य बाजार में गेहूँ कल कलमतं को स्थरल करना है । गेहूँ आपूरतल शृंखला में शामिल वभलनलन संस्थाओं पर स्टॉक सीमा लागू कर सरकार का उददेश्य जमाखोरल और सटटेबाजल को रोकना तथा गेहूँ कल स्थरल आपूरतल सुनशलचतल करना और **कलमतं को स्थरल** करना है ।
- **वहनीयता:**
 - सरकार का इरादा कलमतं को स्थरल करके **उपभोक्ताओं हेतु गेहूँ को और अधकल कफलयतल बनाना है** ।
 - OMSS द्वारा केंद्र के माध्यम से गेहूँ के वतरण से **खुदरा मूल्यों पर नयलतरण बनाए रखने से गेहूँ आम लोगों हेतु सस्ता होगा** ।
- **आपूरतल कल कल को रोकना तथा खादय सुरकषा को सुनशलचतल करना:**
 - स्टॉक सीमा कल नगरानी और प्रबंधन के साथ ही सरकार का उददेश्य मांग को पूरा करने के लयल गेहूँ कल पर्याप्त आपूरतल सुनशलचतल कर बकलरल से संबंधतल कमयलं को दूर करना और **सारवजनकल वतरण परणालल** के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गं को गेहूँ उपलब्ध कराना है ।

आवश्यक वस्तु अधनलयम, 1955:

- **पृष्ठभूमल:**
 - ECA अधनलयम, 1955 ऐसे समय में बनाया गया था जब देश खाद्यान्न उत्पादन के लगातार नमलन स्तर के कारण खादय पदार्थं कल कल कल सामना कर रहा था ।
 - तत्कालीन भारत अपनी खादय जरूरतं कल पूरतलके लयल आयात और सहायता (जैसे PL-480 के तहत अमेरकल से गेहूँ का आयात) पर नरलभर था ।
 - भारत ने वर्ष 1954 में अमेरकल के साथ सरकारी कृषल वुयापार वकलस सहायता के तहत खादय सहायता प्राप्त करने के लयल एक **दीर्घकालकल सारवजनकल कानून (PL) 480 समझौते** पर हस्ताकषर कयल ।
 - **खादय पदार्थं कल जमाखोरल** और कालाबाजलरल को रोकने के लयल वर्ष 1955 में आवश्यक वस्तु अधनलयम लाया गया था ।
- **उददेश्य:**
 - इसका उददेश्य ECA 1955 का उपयोग कर केंद्र द्वारा वभलनलन प्रकार कल वस्तुओं में वुयापार हेतु राज्य सरकारं को नयलतरण प्रदान करना है ताकल **मुद्रासफलतल** पर अंकुश लगाया जा सके ।
- **आवश्यक वस्तु:**
 - आवश्यक वस्तु अधनलयम, 1955 में आवश्यक वस्तुओं कल कोई वशलषलट परभलषा नही है । धारा 2 (A) में कहा गया है कल "आवश्यक वस्तु" का अरथ अधनलयम कल अनुसूची में नरलदषलट वस्तु है ।
- **केंद्र कल भूमकल:**
 - अधनलयम केंद्र सरकार को **अनुसूची में कसल वस्तु को जोडने या हटाने का अधकलर देता है** ।
 - केंद्र यदल संतुषट है कल जनहतल में ऐसा करना आवश्यक है, तो राज्य सरकारं के परामरश से कसल वस्तु को आवश्यक रूप में अधसलूचतल कर सकतल है ।
- **प्रभाव:**
 - कसल वस्तु को आवश्यक घोषतल करके सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूरतल और वतरण को नयलतरतल कर सकतल है तथा स्टॉक सीमा लगा सकतल है ।

UPSC सवलल सेवा परलकषा, वगत वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. नमलनलखतल फसलं पर वचार कलजयल: (2013)

1. कपास
2. मूंगफली
3. चावल
4. गेहूँ

इनमें से कौन-सी खरीफ फसलें हैं?

- (a) केवल 1 और 4
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 2 और 3
- (d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. फसल प्रणाली में गेहूँ और चावल की उपज में गरिबट के प्रमुख कारण क्या हैं? इस प्रणाली में फसलों की उपज को स्थिर करने हेतु फसल विविधीकरण किस प्रकार सहायक है? (2017)

स्रोत: द द्रिष्टि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/ceiling-on-stocks-of-wheat-and-pulses>

